न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 90 / 2025

श्री रामकिशोर पुत्र गेन्दी लाल मीणा निवासी गोविन्दपुरा (सिंदडा) तह. निवाई जिला टोंक --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11.11.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1 दिनांक 24.07.2024 का परिवाद हल्का पटवारी प्रभुलाल व गिरदावर राम गोपाल द्वारा फर्जी तरीके से प्रस्ताव व रास्ते का बनाने व श्मशान के रास्ते पर पडोसी खातेवार द्वारा बंद कराने।

2 दिनांक 02.08.2024 को वर्षो पुराने नाले को जे सी बी मशीन से बंद कराने एवम बरसात के पहाड निवाई के पानी को मकान व जमीन को बरबाद करने एवम इन परिवादो पर डी एम साहब ने मोके पर अन्य पटवारी व गिरदावर जाच हेतु भेजना लिखा था फीर भी जिनकी परिवाद में शिकायत कि है वे गिरदावर पटवारी ही मोके पर गऐ थे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1960 दिनांक 7.10.2025 व 2062 दिनांक 29.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 28.10.2025 को उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1014 दिनांक 4.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध अति.निजी सचिव, जिला कलेक्टर टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 944 दिनांक 13.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। अति.निजी सचिव, जिला कलेक्टर टोंक ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके पत्र कमांक 507 दिनांक 03.11.2025 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

746